

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3317
(दिनांक 21.08.2025 को उत्तर के लिए)
कर्मचारी चयन आयोग के लिए परीक्षा चक्र

3317 श्रीमती माया नारोलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती के लिए परीक्षा चक्र को छोटा करने हेतु कदम उठाए हैं; और
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) एवं (ख) : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय लागू किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भर्ती चक्र की अवधि को कम करना शामिल है:-

- (i) कागज-कलम-आधारित परीक्षा को पूर्ण रूप से कम्प्यूटर-आधारित परीक्षा में परिवर्तित करना।
- (ii) परीक्षा के टीयरों/चरणों की संख्या को कम करना।
- (iii) सभी परीक्षाओं (संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा को छोड़कर) में वर्णनात्मक-प्रकार के प्रश्न-पत्रों को हटाया जाना।
- (iv) चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाना।
- (v) साक्षात्कार को बंद करना।
- (vi) अखिल - भारतीय आधार पर कौशल परीक्षा आयोजित करना।
- (vii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित पालियों (शिफ्ट्स) की संख्या में वृद्धि करना।
- (viii) ई-डोजियर को लागू करना और भौतिक - डोजियर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, ताकि नियुक्ति-पूर्व सत्यापन में तेजी लाई जा सके।
- (ix) परीक्षा नोटिस की अवधि को लगभग 45 दिनों से कम करके लगभग 21 दिन तक करना।

इन उपायों के संचयी प्रभावों के कारण, एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के भर्ती चक्रों की अवधि 15-18 महीनों से घटाकर 6-10 महीने रह गई है।
